आदेश का कम सं॰	तारीख	श्री संत कुमार, तत्कालीन नाजिर, अंचल रहिका सेवा निवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभिलेख संख्या– 05/16–17 में अधिगम/जॉच प्रतिवेदनः–	आदेश पर की गयी कार्रवाई
	04.03.2017	जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक–39/जि0नि0को0दिनांक–12.11.2016 से श्री संत कुमार, अंचल नाजीर सेवा निवृत, अंचल रहिका, जिला–मधुबनी के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–'क' पर विभागीय कार्यवाही संचालन कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश है। उक्त निदेश के अनुपालन में उपरोक्त कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन प्रारम्भ किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अंचल अधिकारी रहिका को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। प्रपत्र–क पर आरोपी कर्मी से स्पष्टीकरण मांगा गया। आरोपी कर्मी उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया एवं अपना पक्ष रखा जिन्हें सूना। स्पष्टीकरण पर सरकार की ओर से पक्ष रखने हेतु अंचल अधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी रहिका को भेजा गया। उनका मंतव्य प्राप्त हुआ। **प्रपत्र–क में गठित आरोप निम्न प्रकार हैः–** 1– श्री नारायण जी झा रा0 कर्म0 हल्का नं. 03 के द्वारा समर्पित जमाबंदी रद्द वाद संख्या 38/14 जॉच प्रतिवेदन दिनांक 03.05.14 को कार्यालय में प्राप्त किया। अग्रसारण पत्र पत्रांक–16/मु0 दिनांक 09.05.14 श्री संत कुमार अंचल नाजीर के लिखावट में है, जिस पर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर दिनांक 09.05.14 की तिथि में है। आपने बताये कि जॉच प्रतिवेदन 28.05.14 को अपर समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में प्राप्त कराया गया जो नियमानुकुल नहीं किया गया। **आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–** श्री नारायण जी झा राजस्व कर्मचारी, हल्का संख्या–03 के द्वारा समर्पित जमाबंदी रद्द वाद संख्या–38/14 का जॉच प्रतिवेदन से संबंधित अग्रसारण पत्र जो पत्र संख्या–16 मु0दिनांक 09.05.14 के द्वारा निर्गत है,उनके लिखावट में है। इस संदर्भ में पूर्व में भी अंचल अधिकारी रहिका के ज्ञापांक 2087 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा मुझ से स्पष्टीकरण पूछा गया था जिसमें उनके द्वारा दिनांक 16.09.2016 को समर्पित स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया था कि प्रभारी लिपिक के निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी रद्द संचिका के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अपने नियंत्री पदाधिकारी के आदेश/निदेश की अवज्ञा करना भी सरकारी कर्त्तव्य के विपरीत था इसलिए उन्होंने मात्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन किया। उक्त अग्रसारण पत्र पर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर कब हुआ कब पत्र निर्गत हुआ और अपर समाहर्ता महोदय के कार्यालय में कब और किसके द्वारा प्राप्त कराया गया, इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। विदित हो कि उक्त अवधि में वे मात्र अंचल नजारत के प्रभार में थे। वे उक्त विषय वस्तु से संबंधित संचिका का प्रभारी लिपिक भी नहीं थे। आरोप पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा निगरानी विभाग के जॉच पदाधिकारी को बताया गया कि उक्त अग्रसारण पत्र के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन दिनांक–28.05.2014 को अपर समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में प्राप्त कराया गया, यह बिल्कुल ही निराधार है क्योंकि निगरानी विभाग के जॉच पदाधिकारी द्वारा उनसे मात्र उक्त अग्रसारण पत्र के	

खिलावट के संबंध में पूछताछ की गयी थी और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि उक्त अग्रसारण पत्र उनकी लिखावट में हे। इसके पश्चात् निगरानी विभाग के जॉच पदाधिकारी द्वारा उनसे अन्य किसी भी बिन्दु पर पूछताछ नहीं की गयी थी और न ही उनके द्वारा स्वलिखावट के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु पर कोई पक्ष ही रखा गया था।

यहॉ उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि श्री नारायण सिंह, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि दिनांक 10.07.2014 को मधुबनी जिला मुख्यालय एवं रहिका प्रखण्ड जाकर इसकी जॉच किया। जॉच के क्रम में अंचलाधिकारी रहिका अपने पत्रांक–728 दिनांक–10.07.2014 के माध्यम से सूचित किये कि श्री नारायण जी झा राजस्व कर्मचारी हल्का नं. 03 के द्वारा समर्पित जमाबंदी रद्द वाद संख्या–38/14 का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 03.05.2014 को कार्यालय में प्राप्त किया गया है जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–16/मु0दिनांक 09.05.2014 के द्वारा अपर समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में भेजा गया है जहॉ जॉच प्रतिवेदन 28.05.2014 की तिथि में प्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से ही स्वतः स्पष्ट है कि जमाबंदी रद्द वाद संख्या–38/14 के जॉच प्रतिवेदन के संबंध में अंचल अधिकारी रहिका द्वारा बताया गया, उनके द्वारा नहीं।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–

जिला पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक–27/जि0नि0को0दिनांक 06.01.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, रहिका को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी रहिका से सरकारी पक्ष मांगा गया।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी रहिका ने अपने पत्रांक–192 दिनांक–16.02.2017 द्वारा अपना मंतव्य दिया है कि आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है, स्पष्ट मंतव्य देने की पृच्छा की गयी जिसके आलोक में पत्रांक–218 दिनांक–23.02.2017 द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, रहिका ने प्रतिवेदित किया कि "
दिनांक 09.05.2014 की तिथि में हस्ताक्षरित एवं निर्गत पत्र दिनांक 28.05.2014 को अपर समाहर्ता महोदय के कार्यालय में प्राप्त कराये जाने का मुख्य कारण था कि चूँकि लोक सभा आम चुनाव कार्य में अंचल कार्यालय के सभी कर्मीगण प्रतिनियुक्त थे, जिस कारण अंचल कार्यालय से निर्गत पत्र अनुसेवक के अभाव में कार्यालय में ही रखा रह गया। निर्वाचन कार्य से मुक्त होने के उपरांत अंचल कार्यालय में रखे सभी निर्गत पत्रों को तत्परता से संबंधित कार्यालर्यो में प्राप्त कराया गया तथा उसी क्रम में भवदीय कार्यालय में भी दिनांक 28.05.2014 को पत्र प्राप्त कराया गया। श्री संत कुमार आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है तथा लगाया गया आरोप निराधार है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगमः–

अंचल कार्यालय, रहिका का पत्रांक–16/मु0दिनांक 09.05.2014 से प्रेषित जॉच प्रतिवेदन जिला कार्यालय में दिनांक 28.05.2014 को प्राप्त हुआ। निगरानी विभागीय पदाधिकारी द्वारा वस्तु–स्थिति की जॉचोपरांत समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया है। आरोपी कर्मी के कथनानुसार वे

अंचल में नाजिर के रूप में कार्यरत थे। चूँकि अन्य लिपिकगण निर्वाचन कार्य में व्यस्त थे इसलिए अंचल अधिकारी के आदेश का वे पालन किये तथा पत्र निर्गत कर दिये। पत्र प्राप्त कराने का कार्य उनका नहीं था। पत्र किस तिथि में प्राप्त कराया गया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अब वे सेवा निवृत हो चुके हैं। अंचल अधिकारी, रहिका–सह–उपस्थापन पदाधिकारी ने आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य माना है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–''क''में गठित आरोप, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा समर्पित मंतव्य का अवलोकन एवं विवेचना की गयी। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी रहिका द्वारा दिये गये मंतव्य जिसमें परिस्थितिजन्य स्थिति में निर्गत पत्र प्राप्त कराने में हुये विलम्ब को स्पष्ट करते हुये आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य मानते हुये आरोप को निराधार माना है।

अतः उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

मूल अभिलेख जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकन प्रस्तुत करने हेतु स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को भेजें।

लेखापित

A 3/17

संचालन पदाधिकारी
–सह–अपर समा0मधुबनी।

3/17

संचालन पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।